रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228587
CG-DL-E-30072021-228587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2783] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
No. 2783] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SRAVANA 7, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

का.आ. 2994(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4724(अ), तारीख 22.12.2020, जो भारत सरकार के असाधरण राजपत्र तारीख 28.12.2020 मे प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा असम राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया –बोकारो- धामरा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन (जे एच बी डी पी एल) के अभिन्न अंग के रुप मे बरौनी –गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइप लाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपो को परिक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी - गुवाहाटी पाइपलाईन प्रोजेक्ट
(बी0 जी0 पी0 एल0)

अनुसूची

राज्य: असम

जिला	सर्कल	मौजा	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		
कामरूप	रंगिया	पब- बोरिगॉग	डबोक नंबर 2	307	00	03	52
				305	00	14	12
				308	00	01	20
				347	00	01	61
				349	00	04	87
				348	00	04	52
				350	00	08	35
				351	00	00	34
				473	00	01	35
				357	00	07	66
				358	00	02	56
				358/94	00	00	90

[फा. सं. एल-14014/125/2018-जी पी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

S.O. 2994(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 4724 (E) dated 22.12.2020 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 28.12.2020, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Natural Gas pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro – Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of Assam by GAIL (India) Limited;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed off by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT
BGPL
SCHEDULE

State : Assam

District	Circle	Mouza	Village	Survey No.	Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Kamrup	Rangiya	Pub- Borigog	Dobok No. 2	307	00	03	52
				305	00	14	12
				308	00	01	20
				347	00	01	61
				349	00	04	87
				348	00	04	52
				350	00	08	35
				351	00	00	34
				473	00	01	35
				357	00	07	66
				358	00	02	56
				358/94	00	00	90

[F. No. L-14014/125/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.07.30 16:35:50 +05'30'